



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012026-269231
CG-DL-E-09012026-269231

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2026/पौष 18, 1947

No. 3।

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2026/PAUSAH 18, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 41/2025-26

विषय: प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 6 और परिशिष्ट -6ङ में संशोधन के संबंध में।

फा.सं. 01/92/180/86/एएम26/पीसी6, ई-फाइल कम्प्यूटर सं.44949.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद् द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के अध्याय 6 और परिशिष्ट-6ङ में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
6.41	(नया पैरा)	ईओयू को भेजने वाले विभिन्न पत्रों/अनुमतियों के प्रारूप। अन्यत्र निर्दिष्ट न किए गए पत्रों और अनुमतियों के प्रारूप जो संबंधित क्षेत्राधिकार विकास आयुक्तों (डीसी) द्वारा निर्योतोन्मुख इकाइयों (ईओयू) को प्रदान किए जाते हैं, परिशिष्टों के परिशिष्ट -6ङ और एएनएफ में निर्दिष्ट हैं।

		विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के प्रावधानों के अनुसार विकास आयुक्त, ऐसे पत्रों/ अनुमतियों, जो योग्य हों, में आवश्यकतानुसार प्रारूप संशोधित कर सकते हैं या कोई अतिरिक्त शर्तें शामिल कर सकते हैं।
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. परिशिष्टों के परिशिष्ट 6द और प्रक्रिया पुस्तक के एएनएफ को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

इस सार्वजनिक सुचना का प्रभाव: उपर्युक्त प्रावधान निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) के लिए क्षेत्राधिकार के बीच समन्वय को आसान बनाने और स्कीम के सुचारू और प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए हैं।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

परिशिष्ट – 6द

ईओयू को जारी किए गए पत्रों/अनुमतियों के प्रारूप

1. नए ईओयू/एलओपी विस्तार/ब्रॉड बैंडिंग आदि के लिए एलयूटी की स्वीकृति।
2. एलयूटी में अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश
3. एलओपी की ब्रॉड बैंडिंग
4. एलओपी की वैधता तक संशोधित अनुमान की क्षमता में वृद्धि और अनुमोदन
5. माल का समेकन
6. अग्रिम डीटीए बिक्री अनुमति
7. डीटीए बिक्री अनुमति - 6.08
8. विदेश से प्राप्त विदेशी मुद्रा के हेतु डीटीए बिक्री की अनुमति
9. एलओपी की वैधता का विस्तार
10. अतिरिक्त स्थान का समावेश
11. स्थान में परिवर्तन
12. ईओयू स्कीम से सैद्धांतिक निकास
13. ईओयू स्कीम से अंतिम निकास
14. उत्पादन शुरू होने के बाद एलओपी का विस्तार
15. एफटीपी के पैरा 6.21 के तहत प्रदर्शनी के लिए अनुमति
16. तदर्थ मानदंडों का निर्धारण
17. निदेशकों के परिवर्तन की सूचना देने हेतु पत्र का प्रारूप
18. मरम्मत हेतु वस्तुओं के पुनः निर्यात की अनुमति के लिए पत्र का प्रारूप

नए ईओयू के लिए एलयूटी की स्वीकृति
(परिशिष्ट 6डे देखें)

फाइल संख्या.....

दिनांक:

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: कानूनी समझौते की स्वीकृति - के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या

दिनांक

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में, कृपया आपके द्वारा निष्पादित और सक्षम प्राधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा स्वीकार किए गए कानूनी समझौते दिनांक (एचबीपी के परिशिष्ट 6डे. में)की एक प्रति संलग्न पाएं। इसके साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार आयात के लिए रियायती मदों की एक सत्यापित सूची है जो इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अधीन होगी।

इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: उल्लिखित

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक आयुक्त (निवारक)...

सहायक विकास आयुक्त

एलयूटी में अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश
(परिशिष्ट 6 ई के अनुबंध 1 का संदर्भ लें)

फ्राइल सं.....-100% ईओयू

दिनांक

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: स्वदेशी वस्तुओं के आयात/खरीद की अनुमति के लिए अनुरोध और इसे कानूनी समझौते के अनुबंध - 1 में शामिल करने - के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) सं. दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक का उल्लेख करने और यह कहने के लिए है कि आयात के साथ-साथ मदों की स्वदेशी खरीद के लिए आपका प्रस्ताव, अर्थात् मदों की मौजूदा सूची के अलावा और उन्हें कानूनी समझौते के अनुलग्नक - 1 शामिल करने के लिए निदेश हुआ है। मद (मदों) का विवरण संलग्न अनुबंध के अनुसार नीचे सूचीबद्ध / संलग्न है, इस संबंध में समय-समय पर जारी सीमा शुल्क अधिसूचनाओं के तहत पात्रता के अधीन कार्यालय रिकॉर्ड में कानूनी समझौते के हिस्से के रूप में नोट किया गया है।

2. एलओपी के अन्य सभी नियम और शर्तें दिनांक..... से अपरिवर्तित रहेंगे।
3. आयात किए जाने वाले कड़े माल को आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और आयात की नकारात्मक सूची में नहीं होना चाहिए।
4. एलयूटी के लिए संशोधित अनुलग्नक -1 इस कार्यालय द्वारा पहले स्वीकार किए गए मूल एलयूटी से जुड़ा होगा।
5. अतिरिक्त मद के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, आपके द्वारा संशोधित अनुमानों में परिवर्तन या गया है, जैसा कि निम्नानुसार स्वीकार किया गया है और अनुमोदित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

अनुमानित निर्यात	
एफई आउटफ्लो	
एनएफईई का अनुमान	

5. कृपया इस पत्र को विकास आयुक्त, एसईजेड द्वारा स्वीकार किए गए अपने मूल कानूनी समझौते के साथ रखें।
6. इसे स्विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

संलग्न: उपर्युक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

एलओपी की ब्रॉड बैंडिंग

(एचबीपी का पैरा 6.34 (ई) देखें)

फ्राइल सं.....

दिनांक

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: विनिर्माण मदों की ब्रॉड बैंडिंग के लिए अनुरोध - के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय,

मुझे आपके दिनांक के पत्र (ऊपर उद्धृत विषय पर एक से अधिक पत्रों का भी उल्लेख किया जा सकता है) का संदर्भ लेने का है और यह कहने का निर्देश हुआ कि प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 6.34 (ड.) के संदर्भ में एलओपी दिनांक के संदर्भ में निम्नलिखित मदों को शामिल करना है:-

मौजूदा अनुमोदित मदें	संशोधित अनुमोदित मदें
क	क
ख	ख
ग	ग
	घ
	ड
	च

संशोधित मदों का विवरण नीचे दिया गया है

क्र.सं	विनिर्माण और निर्यात के लिए प्रस्तावित मदें	आईटीसी एचएस कोड	श्रेणी	वार्षिक क्षमता

अनुमोदन एलओपी दिनांक में निम्नलिखित निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन है:

1. ऊपर उल्लिखित एलओपी की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रखेगी।
2. इकाई विदेश व्यापार नीति में निर्धारित सकारात्मक एनएफई/मूल्य संवर्धन बनाए रखेगी।
3. एफटीपी 2023 के परिशिष्ट 6ड. के संदर्भ में संशोधित कानूनी समझौता इस पत्र के जारी होने के 15 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा।
4. प्रस्तावित मदें आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत निर्यात की प्रतिबंधित / निषिद्ध मदों की सूची में शामिल नहीं हैं और उन्हें औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
5. उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि यदि उपर्युक्त मद के निर्माण और निर्यात के लिए किसी लाइसेंस या अन्य वैधानिक अनुमति की आवश्यकता होती है, तो इसे इकाई द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

6. कृपया इस पत्र को मूल एलओपी दिनांक 03.06.1999 के साथ संलग्न रखें और अपनी स्वीकृति को उपरोक्त नियमों और शर्तों से तुरंत अवगत कराएं।

7. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

.....

एलओपी की वैधता तक संशोधित अनुमान की क्षमता में वृद्धि और अनुमोदन

(एचबीपी के पैरा 6.34 (घ) का संदर्भ तें)

फ्राइल सं.....

दिनांक

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: एलओपी की वैधता तक संशोधित प्रक्षेपण की क्षमता में वृद्धि और अनुमोदन के लिए अनुरोध -के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर अपनी पत्र संख्या दिनांक (ई-मेल दिनांक) देखें। विकास आयुक्त,एसईजेड एतद्वारा एलओपी दिनांक में उल्लिखित विनिर्माण और निर्यात के लिए वस्तुओं की क्षमता बढ़ाने के अनुमोदन साथ-साथ निर्यात और आयात के अनुमानों में संशोधन के लिए निम्नलिखित तरीके से सूचित किया जाता है:-

मद विवरण	इकाई	वर्तमान वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित क्षमता

2. वर्तमान पांच वर्ष के ब्लॉक के लिए आयात और निर्यात के अनुमानों में संशोधन से तक एलओपी दिनांक, के तहत निम्नानुसार हैं:-

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक के पत्र के अनुसार अनुमोदित अनुमान	संशोधित अनुमान
1.	पांच वर्षों में निर्यात का एफओबी मूल्य		
2.	विदेशी मुद्रा व्यय पर:		
	- मशीनरी का आयात		
	- कच्चे माल और घटकों का आयात		
	- पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों का आयात		
	विदेशी सहयोगियों को लाभांश और लाभ का प्रत्यावर्तन		
	- रॉयल्टी		
	एकमुश्त जानकारी शुल्क		
	- डिजाइन और ड्राइंग शुल्क		
	विदेशी तकनीशियनों का भुगतान		
	निर्यात आदि पर कमीशन		
	- विदेश यात्रा		
	- ईसीबी / आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान की जाने वाली व्याज राशि		
	- - कोई अन्य भुगतान		
	कुल व्यय		
	पांच वर्षों में एनएफई की आय (1-2)		

3) यह अनुमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

i) सीबीईसी परिपत्र संख्या 65/2002-सीमा शुल्क दिनांक 07.10.2002 और अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31.03.2003 के अनुसार निर्धारित परिसर के भीतर विनिर्माण की पर्याप्त गतिविधि की जाएगी।

ii) विदेश व्यापार नीति के अनुसार सकारात्मक एनएफई/मूल्य संवर्धन बनाए रखा जाएगा।

iii) एलओपी दिनांक के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

iv) कृपया इस पत्र को एलओपी दिनांक के साथ रखें।

4. आपसे अनुरोध है कि प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 6 ड. के संदर्भ में संशोधित कानूनी समझौता 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, बशर्ते मौजूदा कानूनी समझौते के अनुलग्नक - I में परिवर्तन हों।

5. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

.....

वस्तुओं के समेकन के लिए पत्र का प्रारूप(एफटीपी का पैरा 6.01 (ट) देखें)

फ्राइल सं.....

दिनांक

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं के समेकन के लिए अनुरोध - के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके दिनांक के पत्र का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास आयुक्त, (संबंधित) एसईजेड ने निर्मित मदों के साथ निम्नलिखित वस्तुओं के समेकन के आपके प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया है कि ऐसे सहायक उपकरणों का मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय अर्थात में किए गए निर्यात के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए:-

क्र.सं.	मद विवरण	कुल मात्रा	घरेलू मात्रा	घरेलू मूल्य भारतीय रूपये में	आयात मात्रा	आयात मूल्य भारतीय रूपये में
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	कुल:					

2. यह उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- क. ईओयू द्वारा निर्मित खरीदे गए/आयातित माल और वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेजों में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा;
- ख. ऐसे मामलों में, एनएफई और डीटीए बिक्री पात्रता की गणना के लिए खरीदे गए/आयातित माल के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा;
- ग. ऐसे आयातित/खरीदी गयी वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. एलओपी दिनांक की अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति के लिए प्रारूप(एफटीपी और परिशिष्ट 6 छ का पैरा 6.07 (i) देखें)

फ्राइल सं.....

दिनांक

सेवा में
(इकाई का पता)

विषय: अग्रिम डीटीए बिक्री [मद जिसके लिए अग्रिम डीटीए बिक्री दी गई है] के लिए अनुरोध – के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र का संदर्भ लेने और पहले वर्ष में आपके द्वारा अनुमानित निर्यात हेतु (फार्मास्युटिकल इकाइयों के मामले में दो वर्ष), निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है (डीटीए बिक्री राशि) लाख (रुपये केवल शब्दों में) रुपये हेतु (मद का नाम) अग्रिम डीटीए बिक्री के लिए विकास आयुक्त, (संबंधित) एसईजेड की स्वीकृति को सूचित करने का निदेश हुआ है।

नियम और शर्तें

- क) यह अनुमति इस पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इकाई उत्पादन शुरू होने की तारीख से अर्थात तक अधिकतम दो वर्ष (फार्मास्युटिकल इकाइयों के मामले में तीन वर्ष) की अवधि के भीतर सकारात्मक एनएफई मानदंड बनाए रखेगी।
- ख) सीमा शुल्क और जीएसटी अधिनियमों, उसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं/परिपत्र के प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- ग) किसी भी राज्य कानून/नियमों के तहत लागू प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- घ) किए गए अग्रिम डीटीए बिक्री का विवरण इस कार्यालय द्वारा पूछे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

2. यह अनुमति परिशिष्टों के परिशिष्ट 6 छ और आयत निर्यात फॉर्म 2023 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.07(i) के अनुसार दी गई है।
3. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

.....

डीटीए बिक्री अनुमति
पैरा 6.07 और परिशिष्ट 6छ देखें)

फ्राइल संख्या

दिनांक:

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: पात्रता अवधि के लिए डीटीए बिक्री अनुमति हेतु अनुरोध (तिमाही/ छमाही/वार्षिक) – के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र (पत्रों) का संदर्भ लें, जिसमें पात्रता अवधि ((पहला/दूसरी/तीसरी/चौथी तिमाही)/(पहली/दूसरी छमाही)/वार्षिक) के लिए डीटीए बिक्री की अनुमति मांगी गई है।

आपके आवेदन पर विचार किया गया है और विकास आयुक्त,(संबंधित) एसईजेड का वस्तुओं की डीटीए की बिक्री का अनुमोदन एततद्वारा संप्रेषित किया जाता है, जो वस्तुएं निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई योग्यता और पात्रता के अनुसार, वस्तुओं कनियांत की गई वस्तुओं के जैसी ही हैं:-

अवधिके लिए भौतिक नियांत	डीटीए की अनुमति दी गई
मदों का नाम	मदों का नाम
1..... रु. लाख	1..... रु. लाख
2..... रु. लाख	2..... रु. लाख
3..... रु. लाख	3..... रु. लाख
---	---
कुल: रु. लाख	कुल: रु. लाख

2. उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है:-

- सीमा शुल्क अधिनियम/आईजीएसटी अधिनियम/सीजीएसटी अधिनियम/एसजीएसटी अधिनियम/केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी अधिसूचना/परिपत्र के प्रावधानों और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- यदि डीटीए में बेचे जाने वाली वस्तुओं के लिए किसी अधिनियम, नियम, विनियमन के तहत गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, तो ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति के बाद ही डीटीए बिक्री की अनुमति दी जाएगी;
- किसी भी राज्य के कानून/नियमों के तहत लागू प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
- बिक्री की तारीख के साथ मात्रा के संदर्भ में प्रभावी वास्तविक अग्रिम डीटीए बिक्री का विवरण इस अनुमति की वैधता की समाप्ति तक हर महीने इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

3. यह अनुमति प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.14(क) के साथ पठित एफटीपी 2023 के पैरा 6.07(क) और प्रक्रिया पुस्तक 2023 के परिशिष्ट 6 छ में निहित प्रावधानों के अनुसार दी गई है।
4. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि: सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक),

टिप्पणी: मौजूदा नीति के अनुसार डीटीए बिक्री की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। केवल जानकारी देना ही पर्याप्त है। तथापि, यदि इकाई अनुमति पत्र के लिए दृढ़ आग्रह करती है तो उपर्युक्त जानकारी दी जा सकती है।

विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा के निमित्त डीटीए बिक्री अनुमति के लिए प्रारूप

(विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.08(ख) देखें)

फाइल संख्या

दिनांक

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 6.08 (ख) के अन्तर्गत मेसर्स [विदेशी खरीदार का नाम और पता] से प्राप्त खरीद आदेश के निमित्त की आपूर्ति के लिए डीटीए बिक्री की अनुमति के लिए अनुरोध - के संबंध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या..... दिनांक ...

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक..... के पत्र का संदर्भ लेने और विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 60.8(ख) के अनुसार विदेशी मुद्रा में भुगतान हेतु और निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन मेसर्स [विदेशी खरीदार का पूरा नाम और पता] को डीटीए में मूल्य के [विदेशी मुद्रा में राशि] [विदेशी मुद्रा में राशि केवल शब्दों में] शीर्षक (संलग्न सूचि के अनुसार) के- [वस्तु/पद का नाम] की आपूर्ति के लिए अक्षय प्राधिकारी (सबंध) एसईजेड की अनुमति को सूचित करने का निदेश हुआ है।

1. विदेश व्यापार नीति के अनुसार सकारात्मक एनएफई और मूल्य संवर्धन बनाए रखा जाएगा।
2. आपको वस्तुओं की निकासी से पूर्व राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (समय-समय पर अधिसूचित) द्वारा अधिसूचित लागू शुल्क और करों का भुगतान करना होगा।
3. सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी नियमों/विनियमों के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।
4. वस्तुओं का मूल्यांकन सीमाशुल्क अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार होगा।

5. उपर्युक्त आपूर्ति के संबंध में मेसर्स [विदेशी खरीदार का नाम और पता] से विदेशी मुद्रा में भुगतान की प्राप्ति आपूर्ति की तिथि से 270 दिनों (9 महीने) के भीतर प्राप्त होगी और ऐसी प्राप्ति बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआइआरसी) की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ भुगतान प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजी।

इसे विकास आयुक्त की मंजूरी से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(.....)

उप/ सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), , ,
2. खरीदार [उपर्युक्त पैरा 1 में बताए गए पूरे पते के साथ]

एलओपी की वैधता के नवीनीकरण के लिए पत्र का प्रारूप
(एचबीपी के 6.01(ग) और 6.34(ज) देखें)

फ़ाइल संख्या

दिनांक :

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: 100% ईओयू स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष (.....ब्लॉक) की अतिरिक्त अवधि के लिए अनुमति पत्र के विस्तार का अनुरोध, जो कि से प्रभावी होगा।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया ,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र का संदर्भ लेने और विकास आयुक्त, (संबद्ध) विशेष आर्थिक क्षेत्र की ओर से राज्य में (इकाई का पता) स्थित मेसर्स की गतिविधियों को निर्यातोन्मुखी इकाई के रूप में जारी रखने जो कि निम्नलिखित वस्तुओं की विनिर्माण/सेवा नीचे निर्दिष्ट क्षमताओं तक संयंत्र और मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर पांच साल की और अवधि के लिए जारी रखने के लिए है, जो से तक प्रभावी है का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

क्रम संख्या	विनिर्माण की वस्तु(एँ)	इकाई(याँ)	वार्षिक क्षमता	आइटीसी (एचएस)
1.				
2.				

बढ़ी हुई अवधि के लिए आयात और निर्यात के अनुमानों का नवीनीकरण निम्नानुसार होगा:

(लाख रुपये में)

1.	अगले पांच सालों में निर्यात की एफओबी वैल्यू	
2.	विदेशी मुद्रा व्ययः	
	- मशीनरी का आयात	
	- कच्चे माल और घटकों का आयात	
	- पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों का आयात	
	- विदेशी सहयोगियों को लाभांश और लाभ का प्रत्यावर्तन	
	- रॉयल्टी	
	- नौ-फीस की एकमुश्त शुल्क	
	- डिज़ाइन और ड्राइंग शुल्क	
	- विदेशी तकनीशियन का भुगतान	
	- विदेश में भारतीय तकनीशियन के प्रशिक्षण का भुगतान	
	- निर्यात आदि पर छूट।	
	- विदेश यात्रा	
	- ईसीबी / आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि	
	- कोई अन्य भुगतान (नियत कार्य, सदस्यता शुल्क निरीक्षण शुल्क आदि सहित)	
	कुल व्ययः	
3.	पांच में एनएफई का उपार्जन (1-2)	

यह अनुमति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन होगी:-

- i) अनुबद्ध परिसर की सीमा में विनिर्माण की पर्याप्त गतिविधि सीबीईसी परिपत्र संख्या 65/2002-सीयूएस दिनांक 07.10.2002 और अधिसूचना संख्या 52/2003-सीयूएस दिनांक 31.03.2003 के अनुसार की जाएगी।
- ii) विदेश व्यापार नीति के अनुसार सकारात्मक एनएफई मूल्य संवर्धन बनाए रखा जाएगा।
- iii) एलओपी की तिथि की बाकी सभी शर्तें वैसी ही रहेंगी।
- iv) कृपया इस पत्र को एलओपी दिनांक के साथ रखें।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों और शर्तों पर शीघ्र अपनी स्वीकृति प्रदान करें और 15 दिनों के भीतर विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 6 ड. के संदर्भ में संशोधित कानूनी समझौता प्रस्तुत करें।

भवदीय

(.....)
उप/ सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- 1 सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)
2. उद्योग निदेशक, (संबंधित राज्य सरकार)
3. गार्ड फ़ाइल

अतिरिक्त स्थान शामिल करने के लिए पत्र का प्रारूप
(एचबीपी के पैरा 6.34 (छ) का संदर्भ लें)

फ्राइल संख्या
 सेवा में

दिनांक

(इकाई का पता)

विषय: अतिरिक्त स्थान शामिल करने का अनुरोध – संबंधित।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र का संदर्भ देने और विकास आयुक्त, (संबंधित) एसईजेड के एलओपी में नीचे दिए गए विवरणानुसार स्थान शामिल करने के अनुमोदन को संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

स्थान :

यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन होगा:-

- i) एलओपी दिनांक की अन्य सभी नियम और शर्तें और समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
- ii) अतिरिक्त स्थान भूमि उपयोग या पर्यावरणीय स्थिति की मंजूरी के अधीन है, यदि कोई हो;
- iii) पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 6 ड. में एक कानूनी समझौता निष्पादित किया जाएगा।
- iv) सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निष्पादन के बाद बौदं ख-17 प्रस्तुत किया जा सकता है।
- v) अतिरिक्त स्थान को सीमा शुल्क विभाग के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- vi) अतिरिक्त स्थान के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, आपके द्वारा दिए गए संशोधित अनुमानों में परिवर्तन किया गया है, जैसा कि निम्नानुसार स्वीकार किया गया है और अनुमोदित किया गया है।

(₹ करोड़ में)

अनुमानित निर्यात	
एफई बहिवाहि	
एनएफई अनुमानित	

कृपया इस पत्र को दिनांक के मूल एलओपी के साथ रखें।

भवदीय,
 (.....)
 उप/ सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

- 1) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक)

स्थान परिवर्तन के लिए पत्र का प्रारूप
(एचबीपी के पैरा 6.34 (छ) का संदर्भ लें)

फाईल सं.....	दिनांक.....
सेवा में,	
(इकाई का पता)	
विषय: स्थान परिवर्तन के लिए अनुरोध – के संबंध में।	
संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या	दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक..... के पत्र के संबंध में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विकास आयुक्त, (संबंधित) एसईज़ेड ने आपके एलओपी दिनांक ____ में प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 6.34(छ) के अनुसार स्थान परिवर्तन को से तक अनुमति दे दी है।

यह अनुमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है:-

- i) एलओपी के अन्य सभी नियम और शर्तें दिनांक और समय-समय पर लगाए गए, यदि कोई हो, अपरिवर्तित रहेंगे।
- ii) स्थान का परिवर्तन भूमि उपयोग या पर्यावरणीय स्थिति, यदि कोई हो, की मंजूरी के अधीन है।
- iii) एफटीपी 2023 के परिशिष्ट 6ड. में एक कानूनी समझौता पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

कृपया इस पत्र को मूल एलओपी दिनांक के साथ रखें।

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

ईओयू स्कीम से सैद्धांतिक निकास के लिए पत्र का प्रारूप
(एफटीपी के पैरा 6.17 का संदर्भ लें)

फा. सं.

दिनांक:

सेवा में

(इकाई का पता)

विषय: ईओयू स्कीम से बाहर निकलने का अनुरोध- “सैद्धांतिक” निकास जारी करना- पंजीकृत।
 संदर्भ 1. अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या दिनांक

महोदय/महोदया

ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए आपके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में, विकास आयुक्त, एसईज़ेड 100% ईओयू स्कीम से अंतिम निकास पर विचार करने के लिए, इस आदेश के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर एएनएफ-6घ में उल्लिखित सूचना और संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.17 (.....) [पैरा 6.17 का उप-पैरा इकाई के अनुरोध के अनुसार भरा जाएगा]) के साथ पठित प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 6ट के तहत उल्लिखित दिशानिर्देशों के अधीन ईओयू स्कीम से सैद्धांतिक निकास प्रदान करते हैं।

2. इकाई के बाहर निकलने के लिए कानूनी वचनबद्धता का निर्धारित प्रारूप और एएनएफ-6घ में ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए आवेदन इसके साथ संलग्न हैं। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त प्रारूपों में निर्धारित दस्तावेजों को जमा करने में विफलता पर, यह अनुमोदन स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा जब तक कि विकास आयुक्त द्वारा आगे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती है। अंतिम निकास आदेश केवल इस कार्यालय द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर सभी मामलों में और उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुपालन पर जारी किया जाएगा।

3. आप ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं:

- क) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्ष के ब्लॉक के पूरा होने के बाद अवधि/वर्ष के लिए सीए प्रमाणित एपीआर।
- ख) माल के अंतिम स्टॉक पर प्राप्त सीएसटी की वापसी, यदि कोई हो।
- ग) लंबित विदेशी मुद्रा वसूली का विवरण, यदि कोई हो।
- घ) मूल ग्रीन कार्ड और अनुमति पत्र।
- ड.) स्टॉक में मौजूद आयातित और स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं, घटकों, उपभोग्य वस्तुओं, पुर्जों आदि पर लागू सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क/जीएसटी के भुगतान को दर्शने वाला दस्तावेज।

4. अंतिम निकास आदेश निम्नलिखित के अधीन होगा:

- क) अनुमोदन की शर्तों को पूरा न करने के लिए यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड का भुगतान किया जाएगा। यदि जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ अपील लंबित है, तो अंतिम निकास पर विचार किया जाएगा यदि इकाई ने सक्षम प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त किया है और उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णीत दंड के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत की है जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी इकाई को इस आवश्यकता से छूट देने वाला एक विशिष्ट आदेश न दे।
- ख) यदि इकाई एलओपी के नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफल रही है और दंडात्मक कार्यवाही की जानी है/प्रक्रिया में है, तो संबंधित विकास आयुक्त के साथ दंड के भुगतान के लिए एक कानूनी वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

संलग्न: उपर्युक्त

सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

ईओयू स्कीम से अंतिम निकास के लिए पत्र का प्रारूप
(एफटीपी के पैरा 6.17 (ड.) का संदर्भ लें)

फाइल सं.

दिनांक:

अंतिम निकास आदेश
(विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.17 के तहत प्रावधान के अनुसार आदेश)

मेसर्स , जिसका पंजीकृत कार्यालय पर है [पूर्ण पंजीकृत कार्यालय का पता] और कारखाने को [कारखाने का पूरा पता] एलओपी संख्या दिनांक के माध्यम से विनिर्माण और निर्यात के लिए [विनिर्माण की वस्तुओं का पूरा विवरण] 100% ईओयू की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया था।

जबकि, मेसर्स ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था और विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.17 के अनुसार, विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार ईओयू स्कीम से निकास औपचारिकताओं की शर्तों का पालन करने के लिए, उन्हें दिनांक के पत्र के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से निकास अनुमति दी गई थी।

जबकि सीमाशुल्क सहायक आयुक्त, [सीमा शुल्क/जीएसटी के कार्यालय का पता जिसने एनओसी जारी किया है], पत्र सी सं दिनांक द्वारा सूचित किया है कि [दो से तीन पंक्तियों में अवलोकन]।

जबकि मेसर्स ने अपने पत्र दिनांक के माध्यम से एएनएफ - 6व भूमि ईओयू स्कीम से अंतिम निकास के लिए आवेदन जमा किया था।

और जबकि उक्त मेसर्स ने विकास आयुक्त, एसईजेड के साथ ईओयू स्कीम से बाहर निकलने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के परिशिष्ट 6ट अनुलग्नक में कानूनी वचनबद्धता निष्पादित किया है।

आदेश

जबकि उक्त इकाई, मेसर्स , के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई लंबित/विचाराधीन नहीं है, अतः विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.17 के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स को ईओयू स्कीम से अंतिम निकास की अनुमति दी जाती है तथा संशोधनों के साथ दिनांक की अनुमति पत्र संख्या तथा इकाई को जारी ग्रीन कार्ड संख्या दिनांक को इस आदेश के जारी होने की तिथि से रद्द कर दिया गया है, और अनुमति पत्र संख्या दिनांक में संशोधन के साथ-साथ इकाई को जारी किए गए ग्रीन कार्ड सं दिनांक के अनुसार मेसर्स को ईओयू स्कीम से अंतिम निकास की अनुमति दी जाती है और इस आदेश के जारी होने की तारीख से रद्द कर दिया गया है।

(.....)
 विकास आयुक्त

सेवा में,
मेसर्स (इकाई के पंजीकृत कार्यालय का पता)

प्रतिलिपि :

- 1) सहायक आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), आपके पत्र सी सं दिनांक के संदर्भ में जानकारी के लिए।
- 2) उद्योग निदेशक, (संबंधित राज्य सरकार)
- 3) संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशक, (आईईसी के अनुसार संबंधित आरए) – आईईसी में आवश्यक पृष्ठांकन के लिए और ईओयू स्थिति को हटाने के लिए।
- 4) गार्ड फाइल

उत्पादन शुरू होने के बाद एलओपी के विस्तार के लिए पत्र का प्रारूप
(एचबीपी के पैरा 6.01 (ग) और 6.34 (ज) का संदर्भ लें)

फा. सं.....

दिनांक:

सेवा में
(इकाई का पता)

विषय: एलोपी सं 100% ईओयू की तारीख
उत्पादन शुरू होने की तारीख की सूचना – के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या दिनांक का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा के रूप में सूचित उत्पादन/ संचालन शुरू करने की तारीख कार्यालय के रिकॉर्ड पर ली गई है। तदनुसार, मेसर्स को जारी अनुमति पत्र (एलओपी) सं दिनांक तक प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 6.01 (ग) के अनुसार वैध है। ऊपर उद्धृत अनुमति के मूल पत्र के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। कृपया अनुमति के मूल पत्र के साथ इस पत्र को संलग्न करें।

2. इसे विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
(.....)
उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि: सहायक सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)

प्रदर्शनी की अनुमति हेतु पत्र का प्रारूप(विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.20 और प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.23 का संदर्भ लें)

फाइल संख्या.

दिनांक:

सेवा में,

(इकाई का पता)

विषय: विदेश में प्रदर्शनी में भाग लेने की अनुमति हेतु अनुरोध – के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1. अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या. दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक के आपके पत्र का संदर्भ लेने और विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.20(i) के अनुसार, प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के पैरा 6.23 की शर्तों और सीमा शुल्क नियमों एवं कानूनों के तहत यथा आवश्यक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, निम्नलिखित प्रदर्शनियों में “.....
(लगभग मूल्य) [प्रदर्शनी में रखी जाने वाली वस्तुओं के नाम]” भेजने के लिए विकास आयुक्त (संबंधित) एसईजेड की स्वीकृत सूचित करने का निदेश हुआ है:-

क्र.सं.	प्रदर्शनी का विवरण	अवधि
1)
2)

अतिरिक्त शर्तें (विकास आयुक्त द्वारा शामिल किया जाएगा, यदि कोई हो।)

- 1.
- 2.

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि,

सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (निवारक)

तदर्थ मानदंडों के निर्धारण हेतु पत्र का प्रारूप

(विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.07(ङ) का संदर्भ लें)

फाइल संख्या.

दिनांक:

सेवा में,

(इकाई का पता)

विषय: विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.07 (ङ) के तहत तदर्थ अपव्यय मानदंडों का निर्धारण - के सम्बन्ध में।

संदर्भ: अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या. दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक _____ के इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र का संदर्भ लेने और प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 6.06 (ङ) के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 6.07 (ङ) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार छह महीने के लिए तदर्थ निविष्टि उत्पादन मानदंडों (निर्यात उत्पाद का नाम) _____ के निर्धारण के लिए विकास आयुक्त के अनुमोदन से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

क. आयातित निविष्टि

आवश्यक आयातित वस्तु			प्रत्येक निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक मात्रा	यूओएम	आवश्यकता का उद्देश्य	दावा की गई अपव्ययता (प्रतिशत)
विवरण	तकनीकी विशेषताएं	आइटीसी (एचएस) कोड				

ख. स्वदेशी निविष्टि

आवश्यक स्वदेशी वस्तु			प्रत्येक निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक मात्रा	यूओएम	आवश्यकता का उद्देश्य	दावा की गई अपव्ययता (प्रतिशत)
विवरण	तकनीकी विशेषताएं	आइटीसी (एचएस) कोड				

ग. निर्यात उत्पाद

विवरण	तकनीकी विशेषताएं	आइटीसी एचएस कोड	यूओएम

यह निम्नलिखित (संबंधित) शर्तों के अधीन भी है (यदि लागू हो):

- i. यह इकाई आयातित संगमरमर की खुरदरी/तैयार/सजी हुई टाइलों/स्क्रैप/अवशेषों को डीटीए में नहीं भेजेगी।
- ii. आयात लागू आयात नीति के आधार पर आइटीएस एचएस के न्यूनतम आयात मूल्य पर होना चाहिए और समय-समय पर एफटीपी में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन भी होना चाहिए।
- iii. इकाइयाँ संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी को अपशिष्ट पर बचाई गई शुल्क राशि के बराबर बीजी जमा करेंगी और इसकी एक स्व-प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में जमा करेंगी।
- iv. आप निर्धारित मानदंडों के अनुसार और निर्धारित शुल्क/करों, अन्य करों आदि के भुगतान पर, से तक छह महीने की अवधि के लिए संचित अपव्यय और भविष्य में स्वीकृत होने वाले अपव्यय का निपटान कर सकते हैं।
- v. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अंतिम अपव्यय मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। यदि विदेश व्यापार महानिदेशालय कम मानदंड निर्धारित करता है, तो आपके द्वारा की गई अतिरिक्त निकासी के लिए, आपको सीमा शुल्क/जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा। इस संबंध में सीमा शुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ एक समझौता ज्ञापन/बॉन्ड निष्पादित किया जाना चाहिए।
- vi. घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निकासी के समय अपशिष्ट का चालान बनाना और आपके द्वारा उस पर अपव्यय की मुहर लगाना अनिवार्य है।
- vii. विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तिका के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क/जीएसटी औपचारिकताओं में निर्धारित अपशिष्ट/स्क्रैप/अवशेष आदि की निकासी से संबंधित सभी नियमों और शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।
- viii. (यदि कोई अतिरिक्त शर्तें हों तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।)

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (निवारक)

निदेशकों के परिवर्तन की सूचना देने हेतु पत्र का प्रारूप

(प्रक्रिया पुस्तिका के एएनएफ-1 का संदर्भ लें)

फाइल संख्या.

दिनांक:

सेवा में,

(इकाई का पता)

विषय: निदेशकों के परिवर्तन की सूचना – के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1 अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या. दिनांक

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय में आपके दिनांक के पत्र का संदर्भ लेने तथा आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि नीचे उल्लिखित निदेशक में परिवर्तन / निदेशकों की नियुक्ति को कार्यालय अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

क्र.सं..	मौजूदा निदेशक मंडल			क्र.सं.	नए निदेशक मंडल	
	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि	त्यागपत्र देने की तिथि		निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1						
2						

2. कृपया इस पत्र को विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत अपने मूल कानूनी समझौते के साथ संभाल कर रखें।

भवदीय,

(.....)

उप/सहायक विकास आयुक्त

मरम्मत हेतु वस्तुओं के पुनः निर्यात की अनुमति हेतु पत्र का प्रारूप
(विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.16(क) का संदर्भ लें)

फाइल संख्या.

दिनांक:

सेवा में,

(इकाई का पता)

विषय: मरम्मत हेतु वस्तुओं के पुनः निर्यात की अनुमति हेतु अनुरोध – के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1. अनुमति पत्र (एलओपी) संख्या. दिनांक

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर मेसर्स [विदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता] को दोषपूर्ण वस्तुओं के पुनः निर्यात के लिए आपके पत्र दिनांक का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.16 (क) के अनुसार दोषपूर्ण वस्तुओं के पुनः निर्यात के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, मरम्मत के लिए वस्तुओं के पुनः निर्यात हेतु आपको अपने क्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

भवदीय,

(.....)
उप/सहायक विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

सीमा शुल्क सहायक आयुक्त (निवारक)

.....

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 41/2025-26

Subject: Amendments in Chapter 6 of the Handbook of Procedures and Appendix - 6N - regarding.

F. No. 01/92/180/86/AM26/PC6, e-file Computer No: 44949.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Chapter 6 of Handbook of Procedures 2023 and in Appendix - 6N:of Appendices and ANFs:

Para No.	Existing Provision	Revised Provision
6.41	<new para>	<p>Formats of various letters/permissions to EOUs</p> <p>The formats of letters and permissions not specified elsewhere, which are granted by the respective Jurisdictional Development Commissioners (DCs) to Export Oriented Units (EOUs), are specified in Appendix - 6N of Appendices and ANFs.</p> <p>The Development Commissioners may modify the format or include any additional conditions in such letters/permissions as deemed fit, in accordance with the provisions of the Foreign Trade Policy (FTP) and Handbook of Procedures (HBP).</p>

2. Appendix - 6N of Appendices & ANFs of Handbook of Procedure is notified with immediate effect.

Effect of this Public Notice: The above provisions have been introduced to facilitate seamless jurisdictional coordination for Export Oriented Units (EOUs) and to ensure the smooth and effective administration of the scheme.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.

APPENDIX – 6N**FORMATS OF LETTERS/PERMISSIONS ISSUED TO EOUS**

1. ACCEPTANCE OF LUT FOR NEW EOU / LOP EXTENSION / BROAD BANDING ETC.
2. INCLUSION OF ADDITIONAL ITEMS IN LUT
3. BROAD BANDING OF LOP
4. ENHANCEMENT OF CAPACITY AND APPROVAL OF REVISED PROJECTION UPTO THE VALIDITY OF LOP
5. CONSOLIDATION OF GOODS
6. ADVANCE DTA SALE PERMISSON
7. DTA SALE PERMISSION – 6.08
8. DTA SALE PERMISSION AGAINST FOREX RECEIVED FROM OVERSEAS
9. EXTENSION OF VALIDITY OF LOP
10. INCLUSION OF ADDITIONAL LOCATION
11. CHANGE OF LOCATION
12. IN-PRINCIPLE EXIT FROM EOU SCHEME
13. FINAL EXIT FROM EOU SCHEME
14. EXTENSION OF LOP AFTER COMMENCEMNT OF PRODUCTION
15. PERMISSION FOR EXHIBITION UNDER PARA 6.21 OF FTP
16. FIXATION OF AD-HOC NORMS
17. FORMAT OF LETTER FOR TAKING NOTE OF CHANGE OF DIRECTORS
18. FORMAT OF LETTER FOR PERMISSION FOR RE-EXPORT OF GOODS FOR REPAIR

ACCEPTANCE OF LUT FOR NEW EOU
(Refer Appendix 6E)

File No..

Date:

To
(*Unit's address*)

Subject: Acceptance of Legal Agreement – reg.
Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated
Sir/Madam,

With reference to your letter No..... dated on the above subject, please find enclosed a copy of the Legal Agreement dated (in Appendix 6E of HBP) executed by you and accepted by the Competent Authority, Special Economic Zone.

Attached to this is a verified list of concessional items for import as per Annexure which will be subject to notifications issued by the Central Board of Indirect Taxes from time to time in this regard.

This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Enclosure: As mentioned.

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant development commissioner

Copy:

Assistant Commissioner (Preventive)...

.....

Assistant development commissioner

INCLUSION OF ADDITIONAL ITEMS IN LUT (Refer Annexure 1 to Appendix 6E)

Date

To
(Unit's address)

Subject: Request for permission for import/procurement of indigenous items and inclusion of the same in Annexure – I of Legal Agreement – reg.
Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the above subject and to say that your proposal for import as well as indigenous procurement of the item, namely in addition to the existing list of items and inclusion of the them in Annexure – I of Legal Agreement. Details of the item(s) are listed below/enclosed as per Annexure enclosed, has been taken note as part of Legal Agreement in office record subject to eligibility under Customs notifications issued in this regard from time to time.

2. All other terms and conditions of LOP dated will remain unchanged.

3. The raw materials to be imported is not classified as prohibited under ITC (HS) classification and should not figure in the negative list of Imports

4. The revised Annexure-I to LUT shall be attached to the original LUT accepted by this office earlier.

5. Consequent on approval of the additional item, there is change in projections given revised Projections by you as under have been accepted and approved.

	(₹ in Crore)
Exports Projected	
FE outflow	
NFEE Projected	

5. Please keep this letter with your original Legal Agreement accepted by Development Commissioner, SEZ.

6. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully

(.....)
Deputy/Assistant Development Commissioner

Encl: As above.

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

BROAD BANDING OF LOP
(Refer para 6.34(e) of the HBP)

File No.

Date:

To

(Unit's address)

Subject: Request for broad-banding of items of manufacture – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir,

I am directed to refer to your letter dated (more than one letters may also be mentioned) on the subject cited above and to say that the of LOP dated, in terms of para 6.34(e) of Handbook of Procedures 2023 to include the following items: -

<u>Exiting approved items</u>	<u>Revised approved items</u>
(A)	(A)
(B)	(B)
(C)	(C)
	(D)
	(E)
	(F)

The details of revised items are given below

Sl.No.	Items proposed to manufacture & export	ITC HS code	Category	Annual capacity

The approval is subject to the following specified terms and conditions in the LOP dated:

1. All other terms and conditions of LOP dated, referred to above, shall remain unchanged.
2. The Unit shall maintain positive NFE/value addition as prescribed in the Foreign Trade Policy
3. Revised legal agreement in terms of Appendix 6E of [FTP 2023](#) shall be executed within 15 days of issue of this letter.
4. The items proposed does not figure in the list of restricted/prohibited items of export under ITC (HS) Classification and do not require industrial license.
5. The above approval is subject to the condition that if the manufacture and export of the above item require any license or other statutory permission, the same shall be obtained by the Unit.
6. Please keep this letter attached with original LOP dated 03.06.1999 and convey your acceptance to the above terms and conditions immediately.
7. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully
 (.....)
 Deputy/Assistant Development Commissioner

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

**ENHANCEMENT OF CAPACITY AND APPROVAL OF REVISED PROJECTION UPTO
VALIDITY OF LOP**

(Refer para 6.34 (d) of HBP)

File No.

Date:

To

(Unit's address)

Sub: Request for enhancement of capacity and approval of revised projection upto the validity of LoP – reg.

Ref: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

Please refer to your letter No. dated (e-mail dated) on the subject mentioned above. Approval of the Development Commissioner,SEZ is hereby conveyed for enhancement of capacity of items for manufacture and exports mentioned in the LOP dated alongwith revision in projections of exports and imports in the following manner:-

Item description	Unit	Current annual capacity	Proposed capacity

2. Revision in projections of imports and exports for the current five-year block w.e.f. to under LOP dated, are as under:-

(Rs. in lakhs)

S.No.	Description	Projection approved vide letter dt.	Revised projection
1.	FOB Value of exports in five years		
2.	Foreign exchange outgo on:		
	- Import of Machinery		
	- Import of raw materials and components		
	- Import of spares and consumables		
	- Repatriation of dividends and profits to foreign collaborators		
	- Royalty		
	- Lump sum know-fee fee		

	- Design & Drawing fee		
	- Payment of foreign technicians		
	- Commission on exports etc.		
	- Foreign Travel		
	- Amount of interest to be paid on ECB/deferred payment credit		
	- Any other payments		
	Total Outgo:		
	NFE earnings in five years (1-2)		

3) This permission is subject to the following terms and conditions: -

- i) Substantial activity of manufacturing shall be carried out within the bonded premises in terms of CBEC Circular No. 65/2002-Cus dated 07.10.2002 and Notification No. 52/2003-Cus dated 31.03.2003.
- ii) Positive NFE / Value Addition shall be maintained as per Foreign Trade Policy.
- iii) All other terms and conditions of LOP dated will remain unchanged.
- iv) Please keep this letter along with the LOP dated

4 You are requested submit revised Legal Agreement in terms of Appendix 6E of Handbook of Procedures, 2023 within 15 days provided there are changes in the Annexure – I to the existing Legal Agreement.

5. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully,

(.....)
Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

FORMAT OF LETTER FOR CONSOLIDATION OF GOODS
(Refer para 6.01(k) of FTP)

File No.

Date:

To

(Unit's address)

Subject: Request for consolidation of goods related to manufactured articles – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject mentioned above and to say that the Development Commissioner, (relevant)SEZ has approved your proposal for consolidation of following items along with the manufactured articles subject to the condition that value of such accessories should not be exceed more than 5% of export made in preceding financial i.e:-

<u>S. NO.</u>	<u>Item Description</u>	<u>Total Qty</u>	<u>Domestic Qty</u>	<u>Domestic Value INR</u>	<u>Import Qty</u>	<u>Import value INR</u>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Total:						

2. This above permission is subject to the following terms and conditions: -
 - a. Details of procured/imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents;
 - b. In such cases, value of procured/imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and DTA sale entitlement;
 - c. Such imported/ procured goods shall not be allowed to be sold in DTA.
3. All other terms and conditions of LOP dated shall remain unchanged.
4. This is issued with the approval of the Development Commissioner

Yours faithfully,

(.....)
 Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

FORMAT FOR PERMISSION OF ADVANCE DTA SALE**(Refer para 6.07(i) of FTP and Appendix 6G)**

File No.

Date:

To,
(Unit's address)Subject: Request for advance DTA sale of [Item for which advance DTA sale granted] – reg.
Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the above mentioned subject and to convey the approval of Development Commissioner, (relevant)SEZ, for advance DTA sale of (NAME OF ITEM) for Rs.(DTA SALE AMOUNT) lakhs (Rupees IN WORDS only) against the estimated exports projected by you in the first year(two years in case of pharmaceutical units), subject to the following terms and conditions as mentioned below:-

Terms and conditions:

- a) This permission shall be valid for a period of one year from the date of issue of this letter and the unit shall maintain positive NFE criteria within a maximum period of two years (three years in case of pharmaceutical units)from the date of commencement of the production) i.e. upto
- b) The provisions and procedure of Customs & GST Acts, rules made thereunder and the notifications/ circular issued on this behalf shall be followed.
- c) The provisions & procedure as applicable under any State law / rules shall be followed.
- d) Details of advance DTA sale undertaken shall be submitted as and when asked by this office.

- 2 This permission is accorded in terms of para 6.07(i) of Foreign Trade Policy 2023 read with Appendix 6G of Appendices and Aayat Nirayat Forms 2023.
3. This is issued with the approval of the Development Commissioner

Yours faithfully

(.....)

Deputy/Assistant development commisioner

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

DTA SALE PERMISSION
(Refer para 6.07 of FTP and Appendix 6G)

File No.

Date:

To**(Unit's address)**

Subject: Request for DTA sale permission for the entitlement period

(Quarterly/Hoalf-yearly/Annual) – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

Please refer to your letter dated (*more than one letter may be mentioned*) on the subject cited above seeking permission for DTA sales for the entitlement period ((1st/2nd/3rd/4th Quarter)/(1st/2nd Half Year)/Annual). Your application has been considered and approval of the Development Commissioner,(relevant) SEZ is hereby conveyed for DTA sale of goods, which are similar to those exported, as per eligibility and entitlement, as mentioned in Table below:-

Physical export for the period	DTA permission granted
Name of items	Name of items
1.....: Rs. Lakhs	1.....: Rs. Lakhs
2.....: Rs. Lakhs	2.....: Rs. Lakhs
3.....: Rs. Lakhs	3.....: Rs. Lakhs
Total: Lakhs	Total: Lakhs

2. The above permission is subject to the following terms and conditions:-
 - i) The provisions and procedure of Customs Act/IGST Act/CGST Act/SGST Act/Central Excise Act, rules made thereunder and the notification/circular issued on this behalf shall be followed.
 - ii) If the goods sought to be sold in the DTA required any quality control certificate under any Act, Rule, Regulation, the DTA sale will be allowed only after production of such certificates;
 - iii) The provisions & procedures as applicable under any State Laws/ rules shall be followed.
 - iv) Details of actual advance DTA sales effected in quantity terms and value terms with the date of sale shall be submitted to this office every month till expiry of validity of this permission.
3. This permission is accorded in terms of the provisions contained in para 6.07(a) of FTP 2023 read with Para 6.14 of Hand Book of Procedures and Appendix 6 G of Hand Book of Procedures 2023.
4. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully,
 (.....)

Deputy/Assistant Development Commissioner

Copy to: The Assistant Commissioner of Customs (Preventive),

Remark: No DTA sale permission required as per current policy. Only intimation is enough. However above can be given if units insist for permission letter.

FORMAT FOR DTA SALE PERMISSION AGAINST FOREX RECEIVED FROM OVERSEAS
(REFER PARA 6.08(b) OF FTP

File No.

Date

To

(Unit's address)

Subject: Request for DTA sale permission for supply of against purchase order received from M/s. [Name and address of overseas buyer] under Para 6.08(b) of Foreign Trade Policy, 2023 – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No..... Dated.....

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject cited above and to convey the approval of the Competent Authority, (relevant)SEZ, for supply of [Qty with units] of [NAME OF COMMODITY/GOODS] titled (as per list attached) for a value of [AMOUNT IN FOREIGN CURRENCY] (AMOUNT IN FOREIGN CURRENCY IN WORDS only), in DTA to M/s [COMPLETE NAME AND ADDRESS OF INDIAN BUYER] against payment in foreign exchange in terms of Para 6.08(b) of the Foreign Trade Policy 2023 and subject to the following terms & condition:-

1. Positive NFE and Value addition as per Foreign Trade Policy shall be maintained.
2. You shall pay the applicable duties and taxes, as notified by the Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India (notified from time to time) before clearance of goods.
3. Procedures/formalities as required under Customs/Central Excise/GST rules/regulations shall be observed..
4. Valuation of the goods shall be to the satisfaction of custom authorities.
5. The realization of proceeds in foreign exchange from M/s [NAME AND ADDRESS OF OVERSEAS BUYER] in respect of the above mentioned supplies shall be received within 270 days (9 month) from the date of supply and such realization shall be intimated to this office within 30 days from the date of receipt of payment along with self- attested copies of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) issued by the bank.

This is issued with the approval of Development Commissioner

Your faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

FORMAT OF LETTER FOR RENEWAL OF VALIDITY OF LOP
(Refer 6.01(c) and 6.34(h) of HBP)

File No.

Date:

To

(Unit's address)

Subject: Request for extension of the Letter of Permission for a further period of 5 years
 (.....Block) under the 100% EOU Scheme with effect from – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject above and to convey the approval of the Development Commissioner, (relevant)SEZ for continuance of the activities of M/s..... as Export Oriented Unit located at (address of the Unit), in the State of for the manufacture/service of the following item(s) upto the capacities specified below on the basis of maximum utilisation of plant and machinery for a further period of five years with effect from to

Sl. No.	Item(s) of manufacture	Unit(s)	Annual capacity	ITC (HS)
1.				
2.				

Renewal of projections of imports and exports for the extended period shall be as under:

(Rs. in lakh)

1.	FOB Value of exports in next five years	
2.	Foreign exchange outgo on:	
	- Import of Machinery	
	- Import of raw materials and components	
	- Import of spares and consumables	
	- Repatriation of dividends and profits to foreign collaborators	
	- Royalty	
	- Lump sum know-fee fee	
	- Design & Drawing fee	
	- Payment of foreign technicians	
	- Payment on training of Indian Technicians abroad	
	- Commission on exports etc.	
	- Foreign Travel	
	- Amount of interest to be paid on ECB/deferred payment credit	
	- Any other payments (incl. Job work, Membership fees Inspection charges etc)	
	Total Outgo:	
3.	NFE earnings in five years (1-2)	

This permission is subject to the following terms and conditions:-

- v) Substantial activity of manufacturing shall be carried out within the bonded premises in terms of CBEC Circular No. 65/2002-Cus dated 07.10.2002 and Notification No. 52/2003-Cus dated 31.03.2003.
- vi) Positive NFE /Value Addition shall be maintained as per Foreign Trade Policy.
- vii) All other terms and conditions of LOP dated will remain unchanged.
- viii) Please keep this letter along with the LOP dated

You are requested to convey your acceptance of above terms & conditions immediately and submit revised Legal Agreement in terms of Appendix 6E of Foreign Trade Policy and Handbook of Procedures, 2023 within 15 days.

Yours faithfully

(.....)
Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

- 1 Assistant Commissioner of Customs (Preventive)
- 2. Director of Industries, (*respective State Government*)
- 3. Guard File

FORMAT OF LETTER FOR INCLUSION OF ADDITIONAL LOCATION
(Refer para 6.34 (g) of HBP)

File No Date

To

I (Unit's address)

Subject: Request for inclusion of additional location – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject cited above and to convey the approval of the Development Commissioner, (relevant)SEZ for addition of location in the LOP dated, as per details mentioned below:-

Location:

This approval is subject to terms & conditions as follows:

- i) All other terms and condition of LOP dated and imposed from time to time shall remain unchanged.
- ii) The additional location is subject to clearances of land use or environmental condition, if any;
- iii) A Legal Agreement in Appendix 6E of of Foreign Trade Policy 2023 shall be executed within 15 days of the issue of the letter.
- iv) Bond B-17 after execution by the Customs authority may be submitted.
- v) Additional location should be bonded with Customs
- vi) Consequent on approval of the additional location, there is change in projections given revised Projections by you as under have been accepted and approved.

(₹ in Crore)	
Exports Projected	
FE outflow	
NFEE Projected	

Please keep this letter along with original LOP dated

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

1) Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

FORMAT OF LETTER FOR CHANGE OF LOCATION
(Refer to para 6.34 (g) of HBP)

File No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: Request for change of location – reg.

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to your letter dated on the subject cited above and to convey the approval of Development Commissioner, (relevant)SEZ, for change of location from to in terms of para 6.34(g) of Handbook of Procedures 2023 in your LOP date _____

This approval is subject to following terms & conditions:-

- i) All other terms and conditions of LOP dated and imposed from time to time, if any, shall remain unchanged.
- ii) The change of location is subject to clearances of land use or environmental condition, if any.
- iii) A legal agreement in Appendix 6E of FTP 2023 shall be executed within 15 days of the issue of the letter.

Please keep this letter with original LOP dated

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant Development Comissioner

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

FORMAT OF LETTER FOR IN-PRINCIPLE EXIT FROM EOU SCHEME
(Refer to para 6.17 of FTP)

F. No.

Date:

To

(Unit's address)

Subject: Request for exit from EOU Scheme – Issuance of “In-Principle” exit order – reg.

Reference: 1. Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

With reference to your letter No..... dated for exit from EOU Scheme, Development Commissioner,SEZ is pleased to accord in-principle exit from EOU Scheme subject to the guidelines enumerated under Appendix 6K of Hand Book of Procedures read with Para 6.17(.....)[*sub-para of para 6.17 shall be filled as per unit's request*]) of Foreign Trade Policy 2023 and submission of information and relevant documents mentioned in ANF-6D within a period of six months from the date of issue of this order, for considering the final exit from 100% EOU scheme.

2. Prescribed format of Legal Undertaking for exit of the Unit and application for exit from EOU Scheme in ANF-6D are enclosed herewith. It may please be noted that on failure to submit the documents prescribed in the above formats, this approval would lapse automatically unless a further extension is allowed by the Development Commissioner. Final exit order will be issued only on receipt of the above documents by this office complete in all respect and on compliance of above requirements.

3. You may also furnish the following documents alongwith the application for exit from EOU Scheme:

- a) CA certified APR for the period/year after completion of the last five year block including the current year.
- b) Refund of CST received on closing stock of inventory, if any.
- c) Details of pending foreign exchange realization, if any.
- d) Original Green Card and Letter of Permission.
- e) Document showing payment of applicable Customs and Excise duties/GST on the imported and indigenous capital goods, components, consumables, spares, etc. in stock.

4. Final exit order shall be subject to the following:

- a) The penalty imposed by the appropriate authority, under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, for non-fulfillment of the conditions of approval, would be paid. In case an appeal against an order imposing penalty is pending, final exit would be considered if the unit has obtained a stay order from Competent Authority and has furnished a Bank Guarantee for the penalty adjudicated by the appropriate authority unless the appellate authority makes a specific order exempting the unit from this requirement.
- b) In case the Unit has failed to fulfill the terms and conditions of LOP and penal proceedings are to be taken up/are in process, a Legal Undertaking for payment of penalties, that may be imposed, would be executed with the Development Commissioner concerned.

5. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully,

(.....)
 Deputy/Assistant Development Commissioner

Encl: As above.

Copy to: The Assistant Commissioner of Customs (Preventive),

FORMAT OF LETTER FOR FINAL EXIT FROM EOU SCHEME
(Refer to para 6.17(e) of FTP)

F. No.

Date:

FINAL EXIT ORDER

(Order as per provision under Para 6.17 of Foreign Trade Policy 2023)

M/s , having its Registered Office at [complete regd. office address] and factory at [complete factory address] was granted approval for setting up of a 100% EOU vide LOP No. dated for manufacture & export of [complete details of items of manufacture].

Whereas, M/s had applied for exit from EOU Scheme and was granted in-principle exit permission vide letter dated in terms of para 6.17 of Foreign Trade Policy 2023 to comply with the conditions of exit formalities from EOU Scheme as per Foreign Trade Policy / Hand Book of Procedures.

Whereas the Assistant Commissioner of Customs, [address of o/o of customs/gst who has issued noc], vide letter C.No. dated has communicated that [observations in two to three lines].

Whereas M/s had submitted application for final exit from EOU scheme in ANF – 6D vide their letter dated

And whereas the said M/s has executed Legal Undertaking with the Development Commissioner, SEZ for exit from EOU scheme in Annexure to Appendix 6K of Handbook of Procedures, 2023.

ORDER

Whereas no penal action is pending/contemplated against the said Unit, M/s , final exit is hereby allowed to M/s..... from EOU Scheme in terms of the provisions under Para 6.17 of Foreign Trade Policy 2023 and the Letter of Permission No..... dated with amendments as well as Green Card No..... dated issued to the Unit has been cancelled from the date of issue of this order.

(.....)
Development Commissioner

To

M/s. (Unit's registered office address)

Copy to:

- 1) The Assistant Commissioner of Customs (Preventive), , with reference to your letter C. No. dated for information.
- 2) Director of Industries, (respective State Government)
- 3) Joint Director, Director General of Foreign Trade, (respective RA as per IEC) – for necessary endorsement in IEC and for deletion of EOU status
- 4) Guard File

FORMAT OF LETTER FOR EXTENSION OF LOP AFTER COMMENCEMENT OF PRODUCTION

(Refer to para 6.01(c) and 6.34(h) of HBP)

File No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: LOP No-100%EOU Date— Intimation of date of commencement of production – reg.

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter No.....dated on the above mentioned subject and to say that the date of commencement of production/operation as informed by you as, has been taken on office records. Accordingly, the Letter of Permission (LOP) No..... dated issued to M/s..... is valid till in terms of para 6.01 (c) of Handbook of Procedure 2023. All other terms and conditions of the original Letter of Permission cited above will remain unchanged. Please attach this letter along with the original Letter of Permission.

2. This is issued with the approval of the Development Commissioner.

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant Development Commissioner

Copy to: The Assistant Commissioner of Customs (Preventive),

FORMAT OF LETTER FOR PERMISSION FOR EXHIBITION
(REFER PARA 6.20 OF FTP and 6.23 of HBP)

File No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: Request for permission to participate in exhibition abroad – reg.

Reference: 1. Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject cited above and to convey the approval of the Development Commissioner, (relevant)SEZ for sending “..... (approx. value) [NAME OF ITEMS TO BE PLACED IN THE EXHIBITION]” in following exhibitions in terms of para 6.20(i) of [FTP 2023](#) subject to the compliance of terms and conditions of para 6.23 of HBP 2023 and provisions as required under Customs Rules & Laws:-

S.No.	Details of Exhibition	Period
1)
2)

Additional Conditions (To be included if any by DC)

- 1.
- 2.

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant development commisioner

Copy,

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

FORMAT OF LETTER FOR FIXATION OF AD-HOC NORMS
(Refer to para 6.07(e) of FTP)

File No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: **Fixation of ad-hoc Wastage Norms under para 6.07 (e) of FTP – reg.**

Reference: Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to this office letter of even number dated _____ on the subject cited above and to convey approval of Development Commissioner for fixation of ad hoc Input Output Norms for (name of Export Product) _____ for six months in terms of the provisions contained under Para 6.07(e) of Foreign Trade Policy 2023 read with Para 6.06(e) of Handbook of Procedures

A. Imported inputs

Required Imported item			Quantity required for each of export product	UOM	Purpose of requirement	Wastage claimed (%age)
Description	Technical Characteristics	ITC (HS) Code				

B. Indigenous inputs

Required indigenous item			Quantity required for each of export product	UOM	Purpose of requirement	Wastage claimed (%age)
Description	Technical Characteristics	ITC (HS) Code				

C.Export Product

Description	Technical Characteristics	ITC HS Code	UOM

This is further subject to the following (relevant) conditions (if applicable):

- ix. The unit shall not clear the rough/finished/dressed tiles/scrap/remnants of imported marble into the DTA
- x. Imports should be at minimum import price of ITS HS based upon applicable import policy and also subject to other conditions mentioned in the FTP from time to time
- xi. Units shall submit BG to the jurisdictional customs authority equal to amount of duty saved on such wastage and submit a self-certified copy to this office.
- xii. You may clear the accumulated wastages as well as the wastage to be granted in future for **six months from to** as per the norms fixed and on payment of prescribed duties/taxes other levies etc
- xiii. Final wastage norms shall be fixed by the Director General of Foreign Trade Ministry of Commerce and Industry, New Delhi. In case, the DGFT fixes lower norms, you must pay the full duty for, as may be prescribed by the Customs/GST Central Excise authorities for excess clearance made by you. An Understanding/Bond should be executed with Customs/Central Excise to this effect
- xiv. Wastage must be invoiced and stamped by you a wastage at the time of clearance in to the Domestic Tariff Area
- xv. All the terms and conditions prescribed in FTP/HBP as well as Central Excise/Customs /GST formalities governing clearance of wastage/scrap/remnants, etc should be strictly complied with
- xvi. (Additional Conditions to be included if any)

Yours faithfully,

(.....)

Deputy/Assistant development commissioner

Copy:

Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....

FORMAT OF LETTER FOR TAKING NOTE OF CHANGE OF DIRECTORS
(Refer to ANF-1 of HBP)

F. No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: Intimation for change in directors – reg.

Reference: 1 Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir,

I am directed to refer to your letter dated on the subject cited above and to inform you that change in director / addition of directors listed below has been taken note on the office records.

Sl. No.	Existing Board of Directors			Sl. No.	New Board of Directors	
	Name of Director	Date of appointment	Date of resigning		Name of Director	Date of appointment
1						
2						

2. Please keep this letter with your original Legal Agreement accepted by the Development Commissioner.

Yours faithfully,

(.....)
Deputy/Assistant Development Commissioner

FORMAT OF LETTER FOR PERMISSION FOR RE-EXPORT OF GOODS FOR REPAIR
(Refer to para 6.16(a) of FTP)

F. No.

Date:

To,

(Unit's address)

Subject: Request for permission to re-export goods for repair – reg.

Reference: 1. Letter of Permission (LoP) No. dated

Sir/Madam,

I am directed to refer to your letter dated on the subject above for re-export of defective goods to M/s..... [NAME AND ADDRESS OF OVERSEAS SUPPLIER]. In this regard, it is informed that in terms of para 6.16 (a) of FTP no permission is required for re-export of defective goods

However, you are advised to approach your jurisdictional Customs Authority for re-export of goods for Repair.

Yours faithfully,

(.....)
Deputy/Assistant development commisioner

Copy:

Mr. Assistant Commissioner of Customs (Preventive)

.....